



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



U.P.	251406
कृषि विभाग	
01 JUN 1977	
ए. ए. 4/उत्तर	
कृषि विभाग	
U.P. Secy. (A)	

<u>विक्रय विवरण</u>	
प्रतिफल की संख्या—	रु० 2,08,406/-
अवधि मूल्य —	रु० 2,28,176/-
इस विवरण में शामिल योग	रु० 26,900/-

1.	भूमि का क्षेत्र	—	कृषि
2.	परामना	—	लेखनीय
3.	पान	—	जीवन
4.	समाप्ति का विवरण	—	भूमि परामना संख्या 1242 उत्तर

Handwritten signature or stamp at the bottom center.

Handwritten signature or stamp at the bottom right.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 962743

मूल्य रु. 1000 का उत्तरा प्रदेश 1471  
संख्या 2011 की कुल संख्या  
2799 का को 1/4 भाग का  
विशेष संख्या 11505 का शिव  
दत्त-संस्कृत, लखनऊ विभागीय  
संस्थान - जिला लखनऊ

- क. नाम की प्रतिलिपि -
- ख. संपत्ति का संज्ञान -
- ग. राज्य की प्रतिलिपि -
- घ. संपत्ति का प्रमाण -

सिद्धांत  
11/11/2011 दिनांक  
लखनऊ शहर व उत्तरांचल प्रदेश  
के सम्बन्ध में 200 फीट का दस्तावेज  
पूर्ण

सिद्धांत

2011/11/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.812496

10. पैसों की स्थिति - गरी  
शोरिंग / कुल राशि - कुल की नहीं है

<u>बीकानेर काउंटी नं० 1242</u>	
जालपा	खरवा नं०-1238
दखिन	खरवा नं०-1244
पूरुब	खरवा नं०-1242
उत्तर	खरवा नं०-1241

<u>बीकानेर काउंटी नं० 1421</u>	
जालपा	खरवा नं०-1440
दखिन	खरवा नं०-1470
पूरुब	खरवा नं०-1477

10/10/20

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D. 262415

जिला

अन्तर 70-1078, 1441, 1442

जमान फस की संख्या- 1

द्वितीय जमा की संख्या- 1

जिल्ला का विवर

जिला का विवर

दामाशर्तियन पूर  
सुरक्षणी निवासी-  
धाम- बरीना, परगना  
मिर्जापुर ताहसील न  
जिला बलरानक।  
आयतन- ५००

सोन, पूर सारु निवासी धाम  
मिर्जापुर भिदारी सोर नौवाँर,  
ताहसील न जिला फतेहपुर।

अयतन- ५००

५००/१०००

५००

भारतीय गैर न्यायिक  
 भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED  
 RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTER PRADESH

C 607394  
 TRY LKO.  
 जेठानर कलना के द्वारा  
 1982 28

यह निम्न लिखे सामंजस्य पत्र मुख्तियारी निवासी-  
 ज्ञान-मरीगा, इरवना विधानीर तहसील ४ जिला जलपक विधि  
 जने विज्ञेया ज्ञान ग्य के प्रथम सोनु दुध राखू निवासी राम  
 मिथानपुर मिथारी सोड गीगांव, तहसील ५ जिला फाल्गुपुर विधि  
 शरत सेना कक्ष गरा हे से गत निष्पत्ति लिया गया।

या दि तिथेय गृहि तदार संख्या 1202 संख्या 0202 से करण  
 संख्या 1471 संख्या 0499 से, काल संख्या 0120 से का 1/4 भाग  
 अर्थात् लिखित संख्या 01725 से जिला नाम- बनीना जगना

1982/27

भारतीय नगर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 190230

विशेष, भारतीय नगर न्यायिक का नालिक, कागज व कागज  
है एवं एकराज न्यायिक न्यायिक अंतर्गत रूप में रु. 100/72 के  
अनुसार भूमि विवेक के रूप में न्यायिक भूमि के रूप में वर्ज है  
और विवेक के रूप में अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत में ही गया  
है। विवेक में ही नालिक अवश्यता के कारण विवेक नालिक  
कल्पन विवेक के रूप में नालिक विवेक नालिक रूप में है  
वह कि विवेक के रूप में भूमि का विवेक अंतर्गत ही भूमि अंतर्गत  
प्रारंभ है। विवेक अंतर्गत कल्पन भूमि के नालिक, कागज व

रु. 100/72

विवेक

भारतीय न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

590213

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आदि... है इन मामलों में जहाँ भूमि भूमि है और जहाँ  
भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है और जहाँ भूमि खेती या  
गन्ने की भूमि नहीं है। यह कि किसी एक स्थिति में कि  
आरोपित भूमि को जहाँ के नाम से पुस्तक पर नाम है तथा  
है तथा किसी न जाने इस किन्हीं के नाम नहीं था किन्हीं या  
अन्यथा हस्ताक्षर नहीं किया है। किन्हीं ने जहाँ भूमि पर कृषि  
कर या अन्य कर का भौत कर नहीं किया है। यदि कोई एक  
अन्य भूमि में विद्यमान है कि जहाँ जहाँ किन्हीं व जहाँ

...


...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

390218


परिचय व विवरण उत्तरप्रदेश की। उत्तरप्रदेश नृपि मा उत्तर  
कोई नए किसी प्रकार का सरकारी कार्यालय के अन्तर्गत विभाग  
या कस्तु विभाग नहीं है। न ही पूर्ण अर्थात् है। विवरण के अन्तर्गत  
उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वाम्य अधिकार या हस्त हस्ताधिकार  
नहीं है। उक्त विवरण का स्वयं विवरण अन्तर्गत प्रकटीत जा पूरा अधिष्ठात  
उक्त है। अर्थात् उपरोक्त अधिष्ठात के परामर्शपूर्ण कृत विवरण मूल  
नं० २,२४,४९५/ के अधिष्ठात में विवरण उत्तरप्रदेश के मा  
विषय में इन विवरण के अन्तर् में कोई भी अन्तर्गत में नहीं है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये  
रु. 100



Rs. 100  
ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

# 190219

के अनुसार मुद्रांक का दिया गया है एक सिलसिले तद्वि की वैधता  
की स्वीकार करने है, जो मुद्रांक का वैधता अस्त अस्त की हानि  
अपवाद नहीं भूते, जिसका वैधता इस सिद्ध सिद्ध के अन्त में  
अनुसूची के अन्तर्गत किया गया है, जो अन्त में दिया है, एवं  
विकला के विकल्पता पूर्व में सेके न कदापि ऐसा कर सकूँगा न  
दिया गया है। इस समय अन्तर्गत पर वैधता एवं अन्त में परिवर्तन  
का कोई प्रविष्टि नहीं है। विकला के विकल्पता सम्पत्ति जो अपने  
सम्पत्ति के अन्त में अन्तर्गत के साथ पूर्णतः अन्तर्गत में लिए

सैण

केला को हस्तांतरित कर दिया है। अब केला विक्रयशुद्ध सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार में करने में सम्पत्ति के रूप में मान्य एवं समान्य व उपायोग करेंगे। विक्रेता व उसके परिवार उसमें किसी प्रकार की अड़थक मान्य नहीं मान सकते एवं न ही कोई नाम कर सकते और यदि विक्रयशुद्ध सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में सुवि के कारण या कानूनी अड़थक या कानूनी मुद्दे के कारण केला या उसके परिवार निष्वादाकरण इत्यादि में बंधे या अविच्छेद या बाल से निकल जाये तो केला उसके परिवार, निष्वादाकरण इत्यादि को यह अंक होगा कि यह अपना समस्त मुकदमा मग हवा व सबी विक्रेता की बल, क्षमता सम्पत्ति से जरिदें अधिका संसूत करे। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके परिवार हर्षा व खर्चा देने हेतु उत्तर होगा।

यह कि विक्रेता यह भी उचित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उत्तराखण्ड एवं विकास परिषद लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिप्रीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि केला विक्रयशुद्ध सम्पत्ति की दायित्व स्वतंत्र समस्त अधिकारों में अपने नाम दर्ज कर ले तो विक्रेतानाम को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय शिर्षक के पूर्व का उत्तर कहेतु अक्षय किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसके विक्रेता भुगतान व करन करेगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

रविशंकर

रविशंकर

यह कि उपरोक्त सरकारी भूखण्ड ग्राम श्रीवा तर्कनगरीक क्षेत्र के सामान्य भाग के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकारी रेट रु० 12,50,000/- प्रति हेक्टेयर हिस्सा से विक्रीत भूमि 0.1825 हेक्टेयर की कतिमात रु० 228,125/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 228,000/- जनमत स्थापन तथा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्य की जा रही है। भूमि में कोई वेद इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधिवा नहीं चल रही है व कोई नलकूर, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के क्षयवास में कोई निर्माण नहीं है रेकीत भूमि किसी सिक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुजानपुर रोड से व आकर 800 म म से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाती के सदस्य है। इस विक्रय तिलेख को निवन्धन का समस्त व्यव होता हुआ स्थापन किया गया है।

श्रीवा यह विक्रय पत्र विक्रीता ने क्रेता के पत्र में बिना किसी और व शर्त के स्वस्थ किल्ल मन से समस्त गवन्धान लिख दिया ताकि राजव रहे और केवल जलमत पत्रने पर काम आवे।

**परिशिष्ट: सुजान विवरण**

1. विक्रीत की रु० 200,000/- द्वारा वेक सरथा- 6095 ई  
 दिनांक 10.01.2005 - मंचार नेशनल बैंक इकरागव  
 लखनऊ सेता से प्राप्त हुए।

अनुराज

श्रीवा

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 2,88,496/-  
रुपय को मात्र अड़तासी हजार चार सौ त्रियासठ मात्र) केता से  
प्राप्त हुए बिनाकी प्रति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी  
अपराधि विक्रेता को केता से लेना रोना नहीं है।

स्थान:-

दिनांक : 10.01.2009

गवाह :- केता की पहचान की

1.  गगन सिंह  
Gagan Singh, 10/1/09

  
गिता  


2. विक्रेता की पहचान की

केता

 मोहन कुमार  
 शिल्पा खट  


टाइपकर्ता

मसजिदाबतों

  
(मोहन कुमार)  
शिविल कोर्ट नखनक

  
(गगन सिंह)  
एडवोकेट



सफाई नजारे

जमा

२०१३

खजाना संख्या - १९१७


विक्रम

२०१३/१५

लेखा

२०१३

विक्रम नजारे के निम्नलिखित सफाई समितियों का विवरण



सफाई नजारे

२०१३

२०१३

संदर्भ

संज्ञासूची क्र. 241

241

युवा

2.38



मनसुषु

2.31 संज्ञासूची

युवा

युवा

युवा



4 नवरा नवरी

नाम: कार्तिक

असा सहा - 1971 1293-

जिल्हा - महाराष्ट्र

जिल्हा - महाराष्ट्र

विशेष न्यायालय निकाय विभागाच्या कार्यालयीक अ. विभाग



कार्तिक

1971

1977

Registration No.

279

Year

2005

Block No.

1


0201

1977


1977

1977


1977



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-22ए0 के अनुपालन हेतु, पिंजरा प्रिन्ट्स  
 कस्तूरकर्ता/मिर्कता का नाम व पता:- रागराजीवन पुत्र सूरजबली निवासी-ग्राम-बरीना,  
 बरगना बिजनौर, तहसील व जिला उत्तरप्रदेश  
 कार्ये हथ के अंगुलियों के चित्र:-




दाहिने हथ के अंगुलियों के चित्र:-




मिर्कता

पिंजरा के हस्ताक्षर

पिंजरा का नाम व पता:- सोनू पुत्र राजू निवासी-ग्राम-मिर्जापुर भिटारी, मोरह-नीगांव,  
 तहसील व जिला फतेहपुर  
 कार्ये हथ के अंगुलियों के चित्र:-



दाहिने हथ के अंगुलियों के चित्र:-



सोनू

पिंजरा के हस्ताक्षर

आर दिनांक 10/01/2018 का

खंड नं. 1 पृष्ठ नं. 8841

पृष्ठ नं. 231 से 262 पर कार्य 358

सिद्ध किया गया

एन.के.गालिय

रजि. नं. (0000)

199-12

पं. 00000